न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2022-384RAAJodhpur2022-144RTA223 Jagdish Vs Khetaram etc

जगदीश पुत्र मांगीलाल, जाति मेघवाल, निवासी-
ग्राम सिरमण्डी, तहसील औसियां, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. खेताराम पुत्र पुनमाराम
2. टीकूराम पुत्र पुनमाराम
3. सुगनो पत्नी पुनमाराम
4. फुसाराम पुत्र रुगाराम के कायम मुकामः -
   4.1. मूलाराम पुत्र फुसाराम
   4.2. तिलाराम पुत्र फुसाराम
   4.3. श्रीमती बन्नू पत्नी फुसाराम
   4.4. श्रीमती इन्द्रा पुत्री फुसाराम
   4.5. श्रीमती कुन्नी पुत्री फुसाराम
   4.6. श्रीमती निरमा पुत्री फुसाराम
   4.7. श्रीमती जमना पुत्री फुसाराम
5. भंवरुराम पुत्र रुगाराम
6. खिंयाराम पुत्र साजनराम
7. राजुराम पुत्र साजनराम
8. श्रीमती नौजी(**निर्णयानुसार तीजी पत्नी साजनराम**) पत्नी साजनराम

सभी जातियान् मेघवाल, निवासीगण- ग्राम सिरमण्डी, तहसील औसियां, जिला जोधपुर।

रेस्पो.

9. पपूराम पुत्र मांगीलाल
10. लक्ष्मणराम पुत्र मांगीलाल
11. मगनाराम पुत्र मांगीलाल
12. चूनाराम पुत्र बाबुलाल
13. धन्नाराम पुत्र बाबुलाल
14. पुटाराम पुत्र बाबुलाल
15. अणदी पत्नी बाबुलाल
16. बनाराम पुत्र मोहनलाल
17. भीयाराम पुत्र मोहनलाल
18. नैनाराम पुत्र मोहनलाल
19. सायरी पत्नी मोहनलाल

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

सभी जातियान् मेघवाल, निवासीगण- ग्राम सिरमण्डी, तहसील औसियां, जिला जोधपुर।

20. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार औसियां, जिला जोधपुर।

प्रफोर्मा रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17 मई 2022 सहायक कलक्टर औसियां राजस्व मूल वाद संख्या 109/2019 खेताराम व अन्य बनाम जगदीश इत्यादि

उपस्थित-

श्री रूघाराम चौधरी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट

श्री अणदाराम बेनीवाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1,2,4/1, 4/2, 5 से 8, 12 से 14

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 16

शेष रेस्पोडेंट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित।

नि र्ण य

दिनांक : 08 जनवरी 2025

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर औसियां द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 109/2019 खेताराम व अन्य बनाम जगदीश इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17 मई 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 24 अगस्त 2022 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से आठ ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 2551 रकबा 22.14 बीघा, खसरा नं. 2558 रकबा 22.10 बीघा ग्राम रामदेवनगर(वर्तमान खसरा नं. 2557 रकबा 21.14 बीघा, खसरा नं. 2558 रकबा 07.15 बीघा, खसरा नं. 2558/1 रकबा 7.12 बीघा, खसरा नं.

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

2558/2 रकबा 03.14 बीघा) के संबंध धारा 88, 188 एवं 92-ए आर.टी. एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 17 मई 2022 को वाद स्वीकार कर निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि, विधान, संचिका, अभिलेख के तथ्यों एवं न्याय के विपरीत होने से निरस्त करने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण के सम्मन किस तारीख को जारी किये एवं प्रतिवादीगण को किस तारीख को न्यायालय से प्राप्त हुए, सम्मनों पर किसी प्रकार का कोई अंकन नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय से भेजा गया सम्मन अपीलांट को कभी भी प्राप्त नहीं हुआ। यह भी उल्लेखनीय है कि सम्मनों पर तहसीलदार औसियां की सम्मन तामीली/अदम तामीली का पृष्ठांकन नहीं है। इसके अलावा सम्मनों पर आवक-जावक क्रमांक दर्ज नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि सम्मनों की तामील विधिनुसार नहीं हुई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत जाकर तथा विधिक प्रावधानों की अवहेलना करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो अपास्त योग्य है। वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप में भंवरूराम, खेताराम, फुसाराम के शपथ-पत्र पेश किये, किंतु दस्तावेज प्रदर्श नहीं करवाये गये। केवल मौखिक साक्ष्यों के आधार पर वाद को डिक्री नहीं किया जा सकता है। वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट्स का कब्जा काश्त है। कब्जे काश्त के अभाव में खातेदारी अधिकारों की घोषणा नही की जा सकती है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की है, जबकि कानूनन बिना विभाजन करवाये सहखातेदार के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी नही

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

की जा सकती है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर सम्मन की सम्यक तामील करवाये बिना तथा उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने से अपीलांट को समय पर जानकारी नहीं हो सकी। रेस्पोडेंट्स द्वारा दिनांक 20.08.2022 को धमकी दिये जाने पर अपीलांट द्वारा जमाबंदी की नकल लेने पर ज्ञात हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय निर्णय पारित कर दिया है। तब अपीलांट्स द्वारा दिनांक 22.08.2022 को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर प्रथम बार अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री जानकारी हुई। अपीलांट द्वारा जानकारी से हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमायी जाकर अपील गुणावगुण पर स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17 मई 2022 को खारिज फरमाया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या 1 के अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेंट्स की खातेदारी की भूमि है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर सम्मनो की सम्यक तामील करवाये जाने के बावजूद भी वे विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। विचारण न्यायालय द्वारा वाद विचारण की प्रक्रिया की पूर्ण पालना करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर विधिसम्मत अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है। अपीलांट द्वारा अत्यंत विलंब से हस्तगत अपील प्रस्तुत की है तथा विलंब का कोई संतोषजनक कारण

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

स्पष्ट नहीं किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिसम्मत होने तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील म्याद बाधित एवं गुणावगुण पर सारहीन होने से खारिज फरामायी जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने में हुए विलंब का प्रश्न है। मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध सम्मनों के अवलोकन से प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता में विहित प्रावधानोनुसार अपीलांट पर सम्मनों की सम्यक रूप से तामील करवाया जाना नहीं पाया जाता है तथा सम्मनो पर दो मौतबिरान एवं तहसीलदार कार्यालय की मुहर का अभाव पाया जाता है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त सम्मन तामीली रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुए उन्हे सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना तथा प्रस्तुत तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में विवाधक बिंदु विरचित कर उभय पक्ष से साक्ष्य लिये बिना केवल वादीगण की सुनवाई के आधार पर एकपक्षीय अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतो के विपरीत पारित किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर औसियां द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 109/2019 खेताराम व अन्य बनाम जगदीश इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17 मई 2022 निरस्त किये जाकर मामला विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह वाद विचारण की प्रक्रिया की पालना करते हुए उभय पक्ष की समुचित सुनवाई उपरांत मामले का विधिनुसार अंतिम निस्तारण करे। उभय पक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 27 जनवरी 2025 को उपस्थित रहे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर